बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,लि0

खाद्य भवन, दरोगा प्रसाद राय पथ, आर,ब्लॉक रोडनं0–2 पटना 800001

संचिका संख्या–TECH:11:01:12:01:2018- दिनांकः–

कार्यालय आदेश

मद संख्या– 155.14

विषयः– बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लि0 के क्षेत्राधीन जिला स्तर पर क्षतिग्रस्त गोदामों की अल्प मरम्मति से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु शक्ति का प्रत्यायोजन के सम्बन्ध में ।

राज्य के जिलों/ प्रखंड परिसरों एवं बाजार समिति में अवस्थित राज्य खाद्य निगम के गोदामों के अल्प क्षतिग्रस्त होने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है जिनका निवारण राज्य स्तर से होने पर अत्यधिक समय लगने की संभावना रहती है।

अल्प क्षतिग्रस्त का तात्पर्य ''किसी गोदाम के दीवार या छत का ईट निकलना,किसी गोदाम के छत में छेद रहना, एक दो स्थानो पर फर्श में गड्ढ़ा बनना, कार्यालय की खिड़की/रोशनदान का क्षतिग्रस्त होना, तथा गोदाम परिसर में गड्ढ़ा होना आदि समस्याओं " का होना है।

उक्त समस्याओं के त्वरित मरम्मति नहीं होने पर आगे चल कर समस्याओं के बढ़ने की संभावना बनी रहती है, जिससे गोदाम की आयु पर बुरा असर पड़ता है तथा मरम्मति का खर्च भी बढ़ जाता है।

यदि उक्त छोटी–छोटी त्रुटियों का जिला स्तर पर ही निवारण कर लिया जाय तो गोदाम की आयु बढ़ जायेगी तथा राशि की भी बचत होगी। इसके लिए जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम को 10,000/– रू0 तक की राशि खर्च करने की शक्ति प्रत्यायोजित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

1. अल्प क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मति हेतु जिला प्रबन्धकों द्वारा राशि खर्च किये जाने से संबंधित प्रस्ताव निदेशक पर्षद की 155वीं बैठक के मद संख्या– 155.14 द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किया गया। निदेशक पर्षद की 155वीं बैठक दिनांक– 18.01.2019 मद संख्या–155.14 में निम्न निर्णय लिया गया–

"Upon discussion, the board approved the agenda unanimously."

2. अतः निदेशक पर्षद के उक्त निर्णय के आलोक में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लि0 के क्षेत्राधीन अल्प क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मति हेतु अधिकतम रू0 10,000/–प्रति गोदाम की सीमा तक कार्य कराने की शक्ति जिला प्रबन्धक को प्रत्यायोजित की जाती है।

अतएव उक्त स्थिति में मरम्मति कार्यो के त्वरित निष्पादन हेतु निम्नांकित निर्णय लिया जाता है।

3. गोदामों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में 10,000/– (दस हजार रू0 मात्र) तक का कार्य कराने की अनुशंसा हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है।

(क) अपर जिला प्रबन्धक
(ख) सहायक गोदाम प्रबन्धक
(ग) कनीय अभियन्ता

4. जिला प्रबन्धक द्वारा संबंधित कनीय अभियन्ता को गोदाम के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी जायेगी। इसके पश्चात् समिति द्वारा संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण किया जायेगा। समिति द्वारा कार्य की अनुशंसा से संबंधित संयुक्त प्रतिवेदन के साथ कनीय अभियन्ता द्वारा अनुमानित प्राक्कलन संलग्न किया जायेगा। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर जिला प्रबंधक द्वारा स्वीकृति देकर सहायक गोदाम प्रबंधक के माध्यम से कार्य कराया जायेगा।

30/1/2019

5. जिला प्रबन्धक,राज्य खाद्य निगम द्वारा कार्य के अनुमानित प्राक्कलित राशि की स्वीकृति दी जायेगी तथा सहायक गोदाम प्रबन्धक को कार्य कराने हेतु दो किस्तों में अग्रिम भुगतान करा दिया जायेगा तथा कार्य पूरा होने पर संबंधित कनीय अभियंताओं द्वारा कार्यो की मापी कर विपत्र एवं अभिश्रव की जाँच कर वास्तविक व्यय विपत्र तैयार किया जायेगा जिसके आलोक में सहायक गोदाम प्रबन्धक द्वारा लिये गये अग्रिम राशि का समायोजन जिला प्रबन्धक स्तर से किया जायेगा।

अल्प मरम्मति कार्य के संबंध में निम्न निर्देशों का अनुपालन किया जायगाः–

i) अल्प मरम्मति कार्य पर व्यय उन्हीं गोदामों पर किया जायगा,जिनका Defect Liability Period समाप्त हो चुका हों।

ii) अल्प मरम्मति कार्य पर व्यय उन्हीं गोदामों पर किया जायगा जिनकी मरम्मति विगत तीन वर्षो में नहीं की गयी हो एवं सामान्य मरम्मति एवं जीर्णोद्धार का कार्य स्वीकृत या कार्यान्वित किया गया हो।

iii) अल्प मरम्मति कार्य पर यह व्यय भंडारण प्रबंधन मद में प्राप्त होने वाली राशि से विकलनीय होगा।

6. महाप्रबन्धक (वित्त) सह आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

निदेशक पर्षद की 155वीं बैठक दिनांक 18.01.2019 की बैठक के मद संख्या 155.14 द्वारा स्वीकृत है।

30/3/2019

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांकः–Tech 11:01:12:01:2018– 3814 दिनांकः– 01/4/19

प्रतिलिपि–सभी मुख्य महाप्रबंधक/मुख्य सतर्कता पदाधिकारी/सभी महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/कार्यपालक अभियंता,उत्तर बिहार/कार्यपालक अभियंता, दक्षिण बिहार/कंपनी सचिव/प्रबंध निदेशक कोषांग, निगम मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–सभी जिला प्रबंधक,बिहार राज्य खाद्य निगम/सभी अपर जिला प्रबंधक,बिहार राज्य खाद्य निगम/सभी सहायक प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–अपर सचिव,खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग,बिहार,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

30/3/2019

प्रबंध निदेशक।